कार्यालय वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत

पत्रांक- /14-1, पीलीभीत, दिनांक 14/08/2020

कार्यालय
प्रभागीय निदेशक वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत
रजिस्टर सं. 662
पत्रावली सं. 37-9
दिनांक 23-8-2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विषय :- इण्डियन ऑयल कारपोरेषन लि0 द्वारा बीसलपुर– बिलसण्डा मार्ग संख्या– 62 पी0ए0 के चैनेज 14.346 से 14.381 वॉयी पटरी पर ग्राम चरखौला, तहसील– बीसलपुर, जिला– पीलीभीत में स्थित खसरा/गाटा संख्या– 568 मे रिटेल आउट लेट/ पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संरक्षित वन भूमि 0.114123 हे0 के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष की पातन अनुमति के सम्बन्ध मे। (प्रस्ताव संख्या– **FP/UP/Others/31275/2018)**

सन्दर्भ :- आपके कार्यालय का पत्रांक– 1818/11–सी FP/UP/Others/31275/2018, दिनांक– 06.03.2020 एवं कार्यालय प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, पीलीभीत के कार्यालय का पत्रांक 249/15–1 दिनांक– 04.08.2020

महोदय,

आपके कार्यालय के संदर्भित पत्र के कम में सानुरोध अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियो का निराकरण कर निर्धारित प्रारूप में निम्ननुसार आख्या प्रेषित की जा रही है:–

bserve No.	Conditions	Status of Complience
1	प्रस्तावित वनभूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग–1 में Non Forest Area की के0एम0एल0 फाईल अपलोड नही है। अतः ऑनलाइन भाग–1 Non Forest Area की के0एम0एल0 फाइल अपलोड करें।	ऑनलाइन भाग–1 में Non Forest Area की के0एम0एल0 फाइल अपलोड कर दी गयी है।
2	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक13(iV) में क्षतिपूरक वनीकरण की टोपोशीट अपलोड है, किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित नही है। अतः ऑनलाइन भाग–2 के कमांक 13(iV) में क्षतिपूरक वनीकरण की टोपोशीट प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित अपलोड करें।	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक 13(iV) में क्षतिपूरक वनीकरण की टोपोशीट प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित कर अपलोड कर दी गयी है।
3	भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो0नि0वि0) द्वारा ले आउट प्लान का सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 24.07.2013 के अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नही है।	भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो0नि0वि0) द्वारा ले आउट प्लान का सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 24.07.2013 के अनुसार प्रमाण पत्र पूर्व से संलग्न है। पुनः प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न की गयी है किन्तु मार्ग चिन्हित नही है। अतः गजट नोटिफिकेशन चिन्हित संलग्न कर ऑनलाइल अपलोड करें।	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित छायाप्रति पूर्व में संलग्न की गयी थी पुनः चिन्हित गजट नोटिफिकेशन संलग्न कर ऑनलाइल अपलोड कर दिया गया है।

RAC आ०का०करें ... प्र०नि० 21/8

क्रमशः पेज 02 पर......

5	ऑनलाइन भाग–2 में के0एम0एल0 फाईल 2 बार अपलोड की गयी है। अतः एक के0एम0एल0 फाइल डिलीट करें।	ऑनलाइन भाग–2 में एक के0एम0एल0 फाइल डिलीट कर दी गयी है।
6	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है किन्तु प्राक्कलन भारत सरकार की नवीन गाइड लाइन के अनुसार नही है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर 50 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन सारांश सहित संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में धनराशि एवं प्राक्कलन अपलोड करें।	भारत सरकार की नवीन गाइड लाइन के अनुसार 50 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन सारांश सहित संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में धनराशि एवं प्राक्कलन अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एच राजामोहन)
वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत

पत्रांक– 325 /15–1 दिनांकित

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव बरेली वृत्त, बरेली को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव को वृत्त स्तर से ऑनलाइन करने की कृपा करें।

प्रतिलिपिः–प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, पीलीभीत को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव को बरेली वृत्त बरेली के कार्यालय से ऑनलाइन कराते हुए प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियां मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सलग्नकः– यथोपरि।

(एच राजामोहन)
वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत